रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-26082026-275786
CG-KA-E-26082026-275786

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4532] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948
No. 4532] NEW DELHI, TUSDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

हुब्बल्लि, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4717(अ).— रेल अधिनियम, 1989 (24 ऑफ 1989) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, संलग्न अनुसूची में दिए गए संक्षिप्त विवरण वाली भूमि, विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्. कर्नाटक राज्य में वड्डुरहल्ली और माकलीदुर्गा स्टेशनों के बीच किलोमीटर 45/100-200 पर समपार संख्या 35 के बदले आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण " करने वाली संस्था, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने इरादे की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) के तहत उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है।

कर्नाटक राज्य में वड्डुरहल्ली और माकलीदुर्गा स्टेशनों के बीच किलोमीटर 45/100-200 पर समपार संख्या 35 के बदले आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) का निर्माण के संबंध में ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, बेंगलुरु ग्रामीण और क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु को प्रस्तुत की जाएगी। आपत्ति लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें आपत्ति के आधार बताए जाएंगे, तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को स्वयं या कानूनी सलाहकार के माध्यम से

सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा, और सभी आपत्तियों पर सुनवाई करने और यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली आगे की जांच करने के बाद, आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा:

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-मानचित्र और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में इनका निरीक्षण कर सकते हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	**गाँव का नाम**	**सर्वेक्षण संख्याएँ**	**ए-जी-ए में क्षेत्र**	**क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**
1	तिरुमगोंडनहल्ली / तुबगेरे होबली/, दोड्डाबल्लापुर तालुक	रोड	0-10-06	0.0056
2	तिरुमगोंडनहल्ली / तुबगेरे होबली/, दोड्डाबल्लापुर तालुक	0/*/1A	0-00-07	0.0562
3	तिरुमगोंडनहल्ली / तुबगेरे होबली/, दोड्डाबल्लापुर तालुक	71/*/*	0-02-09	0.045
4	तिरुमगोंडनहल्ली / तुबगेरे होबली/, दोड्डाबल्लापुर तालुक	रोड	0-4-14	0.058
कुल			0-18-04	0.1848

[फा. सं. एसडब्ल्यूआर/डब्ल्यू.352/आरओबी-आरएसपी-लैंड-एलसी 35]

निंगप्पा चंदप्पा चलुवादि, उप मुख्य अभियंता

.

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Western Railway)

NOTIFICATION

Hubballi, the 25th August, 2026

S.O. 4717(E).— -In exercise of the powers conferred by sub- Section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for the execution of the Special Railway Project, namely. "Construction for ROB in lieu of LC No.35 between stations Oddarahalli and Makalidurga at km 45/100-200" in the State of Karnataka, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special land Acquisition Officer Bangaluru Rural and Regional Commissioner, Bengaluru for "Construction for ROB in lieu of LC No.35 between stations Oddarahalli and Makalidurga at km 45/100-200" in the State of Karnataka" in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the competent authority.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Village	Survey Nos.	Area in A-G-A	Area in Hectare
1	Thirumagondanhalli/ Tubugere Hobli/ DoddaballapurTaluk	Road	0-10-06	0.1049
2	Thirumagondanhalli/ Tubugere Hobli/ DoddaballapurTaluk	0/*/1A	0-00-07	0.0046
3	Thirumagondanhalli/ Tubugere Hobli/ DoddaballapurTaluk	71/*/*	0-02-09	0.0258
4	Thirumagondanhalli/ Tubugere Hobli/ DoddaballapurTaluk	Road	0-04-14	0.0495
TOTAL			**0-18-04**	**0.1848**

[F. No. SWR/W.352/ROB-RSP-Land-LC 35]

NINGAPPA CHANDAPPA CHALUWADI, Dy. Chief Engineeer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.08.26 17:59:01 +05'30'